



बिहार सहायक अभियोजन अधिकारी-परीक्षा पाठ्यक्रम

योजना और पाठ्यक्रम

❖ परीक्षा पात्रता मानदंड:

- न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)-37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला- 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष।
- भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री. (एलएल.बी 3 वर्ष / 5 वर्ष)।

❖ चयन प्रक्रिया:

- प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पी प्रकार)
 - मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा)
 - साक्षात्कार
- परीक्षा पैटर्न इस प्रकार होगा:

प्रारंभिक परीक्षा

❖ प्रारंभिक परीक्षा- प्रारम्भिक परीक्षा में निम्नांकित दो प्रश्न पत्र होंगे:

- प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।
- प्रारम्भिक परीक्षा में बहुविकल्पी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें से एक सही उत्तर होगा।
- प्रत्येक पत्र की अवधि दो घंटे की होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जायेंगे।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जायेगा।

❖ प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान -100

- सामान्य ज्ञान,(समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित)
- सामान्य विज्ञान
- भारत का इतिहास एवं संस्कृति
- भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल

❖ द्वितीय पत्र-विधि-150

इसमें निम्नलिखित अधिनियम और विधि को शामिल किया जाएगा
(विषय)

- भारतीय दंड संहिता, 1860
- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
- भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान

मुख्य परीक्षा

❖ सहायक अभियोजन अधिकारी (मुख्य) परीक्षा पाठ्यक्रम

क्र०	पत्र	विषय	पूर्णांका सं०
1	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2	द्वितीय पत्र	हिन्दी भाषा	100
3	तृतीया पत्र	अंग्रेजी भाषा	100
4	चतुर्थ पत्र	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	150
5	पंचम पत्र	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	150
6	षष्ठम् पत्र	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	150
7	सप्तम् पत्र	अन्य विधि	150

- मुख्य परीक्षा में विवरणात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे।
- प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा:

1. प्रथम पत्र- सामान्य अध्ययन

- सामान्य ज्ञान, (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित).
- सामान्य विज्ञान,
- भारतीय इतिहास एवं संस्कृति,
- भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल,

2. द्वितीय पत्र- हिन्दी भाषा

इस पत्र का स्तर वही होगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिन्दी का है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल हिन्दी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध-शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर हिन्दी की सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा

3. **तृतीय पत्र-अंग्रेजी भाषा-** इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध-शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर अंग्रेजी के सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।
 4. **चतुर्थ पत्र- भारतीय दण्ड संहिता, 1860**
 5. **पंचम पत्र- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872,**
 6. **षष्ठम पत्र- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973,**
 7. **सप्तम पत्र- अन्य विधि-** इस पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे:
 - (क) शस्त्र अधिनियम, 1959,
 - (ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
 - (ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
 - (घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
 - (ड) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
 - (च) पाँक्सो अधिनियम, 2012
- **क्रम संख्या-(iv) से (vii) पर अंकित विषयों के प्रश्नों का स्तर वही होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के विधि स्नातक परीक्षा के**

मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार)

❖ साक्षात्कार:- साक्षात्कार हेतु 100 अंक निर्धारित हैं